

पंचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.
मि०न० 233/2025

1. गुरदेव सिंह पुत्र काला सिंह जाति राय सिख निवासी चन्दुवाली तहसील दिल्ली जिला हनुमानगढ़
2. मुख्त्यार सिंह पुत्र काला सिंह जाति राय सिख निवासी चन्दुरखाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
1. काला सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति राय सिख निवासी चन्दुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. रंजीतो बाई पुत्री काला सिंह पत्नी सतनाम सिंह जाति राय सिख निवासी नरवाना तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. छिन्द्र कौर पुत्री काला सिंह पत्नी सोनू जाति राय सिख निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
4. सिमरजीत कौर पुत्री काला सिंह पत्नी सतविन्द्र सिंह जाति राय सिख निवासी टिलावाली तहसील व जिला फाजिल्का ।
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 10/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री कुन्दनलाल व प्रतिवादी वकील विकास शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है वादी स० 1 गुरदेव सिंह को चक 10 एन.जी.सी. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के प० न० 206/254 मु० न० 5 के किला न० 15/1/0.215, 16/1/0.120, प० न० 207/254 मु० न० 4 के किला न० 6/0.253, 11/0.171 पश्चिमी दिशा कुल 0.759 हैक्टेयर कृषि भूमि भूमि का व वादी स० 2 मुख्त्यार सिंह को चक 10 एन.जी.सी. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के प० न० 207/254 मु० न० 4 के किला न० 7 ता 0.759, कुल 0.759 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक चक 10 एन.जी.सी के खाता स० 29/24 में प्रतिवादी स० 1 का हिस्सा कम किये


जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार वादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज

अलग से कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
टिब्बी

तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...10/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण राय) (सजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एण्डेसहीधक कलक्टर टिब्बी।